

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-4005/2024 श्र0सं0- 1656

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

मनीष कुमार,

सहायक श्रमायुक्त,

सेवा में,

सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर।

पटना, दिनांक- 28/03/2025

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजन-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) एवं अनुसूचित जाति (विपत्रकोड-26-2230017890104) के CFMS2.0 Software से आवंटन निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुग्रह अनुदान वेतन मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103 एवं 26-2230017890104) के अन्तर्गत CFMS2.0 Software से राशि आवंटित की गई है।

2. अनुसूचित जाति के बाल श्रमिकों के लिए- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-0104-बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत ₹3,000/- की दर से :-

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	विमुक्त बाल श्रमिक की सं०	21-सामग्री और आपूर्ति			कुल योग (₹)	अभ्युक्ति (कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक)
			विषयशीर्ष सामग्री एवं पूर्तियाँ (0104.21.01) से 2300/- राशन एवं 500/- वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष दवा भण्डार (0104.21.02) से विमुक्ति के समय दवा हेतु-100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष आहार/पथ्य (0104.21.03) से विमुक्ति के समय भोजन/नास्ता हेतु-100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर	05	14000	500	500	15000	सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर -294/10.03.2025 के आलोक में।
	कुल-	05	14000	500	500	15000	

3. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2549 दिनांक-20.05.2024 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2024-25 में "बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना" अनुदान की राशि ₹3000/- (तीन हजार) एवं ₹5000/- (पाँच हजार) मात्र, प्रति विमुक्त बाल श्रमिक की दर से भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।



4. अनुरोध है कि बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने कि कृपा की जाय।
5. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि0 दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि0 दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2), दिनांक-17.04.98 के आलोक में है।
6. इस आवंटित राशि से, किसी भी परिस्थिति में, अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
7. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत निश्चित रूप से अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाय।
8. आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं विमुक्त बाल श्रमिकों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांवित नहीं किया गया हो।
09. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
10. श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


28/03/25
(मनीष कुमार)

सहायक श्रमायुक्त।

ज्ञापांक: 6/एफ1-4005/2024 श्र0सं0- 1656

पटना, दिनांक- 28/03/2025

प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार तथा उप कोषागार पदाधिकारी/ संयुक्त श्रमायुक्त-2, प्रभारी प्रशाखा-01, श्रम पक्ष/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

विश्वासभाजन


28/03/25
(मनीष कुमार)

सहायक श्रमायुक्त,
बिहार, पटना।